लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
103/2021 (GCMS 2021/462)	02.11.2021	23.11.2021

अनवान

श्यामलाल खटीक निवासी 95 एफ, सेक्टर नम्बर 5, गांधीनगर, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (सचिव नगर विकास न्यास), चित्तौड़गढ़

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (सचिव नगर विकास न्यास), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 25.09.2021 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./103/2021(सू.अ.)(23.11.2021) दिनांक 02.11.2021 से लोक सूचना अधिकारी (सचिव नगर विकास न्यास), चित्तौड़गढ को दिनांक 23.11.2021 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक से नियत दिनांक 23.11.2021 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर मौखिक रूप से अपना पक्ष रखा कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा जान–बुझकर उसके द्वारा चाही गई सूचनाऐं आदिनांक तक उपलब्ध नहीं कराई है अतः चाही गई सूचनाऐं दिलाने का आदेश प्रदान करावें। लोक सूचना अधिकारी (सचिव नगर विकास न्यास), चित्तौड़गढ ने अपने पत्र क्रमांक/सू.अ.

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर

(तारा चन्द मीणा)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़ (राज.)

/2021/1996 दिनांक 23.11.2021 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः-

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री श्यामलाल खटीक द्वारा चाही गयी सूचना आवेदन दिनांक 25.09.2021 की सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1732 दिनांक 21.10.2021 से उपलब्ध करा दी हैं। आवेदक को दी गयी सूचना के पत्र की प्रति संलग्न हैं।

1. इस बिन्दु के संबंध में निवेदन हैं कि :-
   1- उपविभाजन की नकल उपलब्ध करा दी हैं।
   2- आवेदन के साथ केवल छाया प्रति संलग्न होने से उनकी नकलें नहीं दी गयी हैं।
   3- उपविभाजन का पर्चा मौका पत्रावली में संलग्न नहीं होने से नही दी गयी जिसकी सूचना आवेदक को उक्त पत्र से दी गयी हैं।
   4- उपविभाजन के संबंधित प्रकरण की नोटसीट उपलब्ध करा दी गयी हैं।
   5- यह सूचना पत्रावली में उपलब्ध नहीं होने से नहीं दी गयी जिसकी सूचना आवेदक को दी गयी हैं।
   6- उपविभाजन के संबंध में शेष कृषि भूमि की सूचना पत्रावली पर उपलब्ध नही होने से नहीं दी गयी हैं जिसकी सूचना आवेदक को उक्त पत्र से दी गयी हैं।
   7- आराजी नम्बर 1353 के सन्दर्भ उपर्युक्त बिन्दु संख्या 4 अनुसार सभी सूचना दी जा चुकी हैं।
   8- सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत नवसृजन एवं पेमाईश की कार्यवाही का प्रावधान नही हैं।
2. आवेदित सूचना आवेदक/अपीलार्थी को नियमानुसार उपलब्ध करा दी हैं।
3. आवेदक को सूचना उपलब्ध कराई गयी हैं।
4. कथन तथ्यहीन हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत चाही गयी सूचना उपलब्ध कराई गयी हैं।
5. सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रावधान हैं कि पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के विवरण प्रस्तुत करने पर संबंधित अभिलेख की सूचना प्रदान की जावें, किसी भी प्रश्नावली के रूप में प्रस्तुत आवेदन के प्रत्युत्तर हेतु बाध्यता नहीं हैं।
6. सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध कराई जाती हैं। प्रावधानों का पूर्ण पालन किया जाता हैं।
7. इस बिन्दु में अपीलार्थी द्वारा दाद चाही हैं। प्रावधानों के तहत सूचना दी जाने में कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं हैं। नियमानुसार वांछित एवं पत्रावली में उपलब्ध सूचना उपलब्ध कराई गयी हैं।

इस प्रकार प्रार्थी/आवेदक को दिनांक 25.09.2021 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में पत्रांक 1732

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक 21.10.2021 से अपेक्षित सूचना नियत समय में दी जा चुकी हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत अपील निराधार एवं तथ्यों के विपरीत है जो काबिल खारिज योग्य है।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं लोक सूचना अधिकारी (सचिव नगर विकास न्यास), चित्तौड़गढ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/सू.अ./2021/1996 दिनांक 23.11.2021 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन-मनन किया। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी श्याम लाल खटीक को अपने पत्र क्रमांक/नविन्या/सू.अ./2021-22/1732 दिनांक 21.10.2021 द्वारा अपीलार्थी के आवेदन के बिन्दु संख्या 1 एवं 4 की सूचना उपलब्ध करा दी गयी हैं। चूंकि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र कमांक/प. 3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 अनुसार **"सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नही हैं। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती हैं जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है।"** अतः लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित कमेन्ट्स के अनुसार प्रार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 3 द्वारा वांछित दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं होने से अपीलार्थी को दिया जाना संभव नहीं हैं। परन्तु हाजिर अपीलार्थी द्वारा अवगत कराया गया हैं कि बिन्दु संख्या 3 द्वारा वांछित मौका पर्चे की नकल दस्तावेजों/पत्रावली में उपलब्ध हैं परन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा जानबुझकर उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं एवं नहीं होने का गलत तथ्य दिया जा रहा हैं। अतः अपीलार्थी को वांछित पत्रावली/दस्तावेज का अवलोकन करा बिन्दु संख्या 3 के संबंध में संतुष्ट किया जाना आवश्यक हैं। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने कमेन्ट्स से अवगत कराया गया हैं कि बिन्दु सख्या 2 द्वारा वांछित सूचना में आवेदन के साथ केवल छाया प्रति संलग्न होने से उनकी नकलें नहीं दी गयी हैं। इस संबंध में निर्देशित किया जाता हैं कि अधिनियम 2005 की धारा 2 (f), 2 (i) एवं 2 (j) में पारिभाषित सूचनाएं/अभिलेख जो की अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त हैं उनके अतिरिक्त अधिनियम 2005 के तहत देय दस्तावेज की प्रति उपलब्ध कराई जा सकती हैं। एवं शेष बिन्दु संख्या 5, 6, 7 एवं 8 में वर्णित सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दी गई सूचना/जानकारी संतुष्टीपूर्ण व स्पष्ट नहीं हैं। ऐसी स्थिति में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत अपील अपीलांट को आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं एवं अपीलार्थी को अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं दिलाया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर
चित्तौडगढ (राज.)

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (सचिव नगर विकास न्यास), चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित बिन्दु संख्या 2 के संबंध में अधिनियम 2005 की धारा 2 (f), 2 (i) एवं 2 (j) में पारिभाषित सूचनाएं/अभिलेख जो की अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त है उनके अतिरिक्त अधिनियम 2005 के तहत देय दस्तावेज की प्रति उपलब्ध कराए। एवं शेष बिन्दु संख्या 3, 5, 6, 7 एवं 8 की सूचनाओं के संबंध में अपीलार्थी को समस्त रेकार्ड का पर्याप्त समय देकर संतुष्टीपूर्वक अवलोकन कराए, बाद अवलोकन अपीलार्थी द्वारा सूचनाऐं चिह्नित करने पर अपीलार्थी द्वारा चिह्नित की गई सूचनाओं की प्रति निः शुल्क उपलब्ध कराई जाकर पालना से अवगत कराया जावें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (सचिव नगर विकास न्यास), चित्तौड़गढ़ एवं अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>23.11.2021</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(तारा चन्द मीणा)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

(तारा चन्द मीणा)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official